संख्या-16/2015/1107/49-1-2015-08(56)/13टीसी-।।

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तो के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय 528/रा0स0नि0आ0(वेतन) दिनांक 01-12-2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तो के निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या-1376/49-1-2014/8(56)/13टीसी-11 दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-(v।) एवं बिन्दु संख्या-(v।।) में निम्नवत आंशिक संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(v।) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को उन्ही दरों व प्रतिबन्धों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा जिन दरों एवं प्रतिबन्धों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को अनुमन्य कराये गये वेतनमान के समान राज्य सरकार में वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुमन्य होगा। उक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करने के लिये तथा स्थानान्तरण के लिये यात्रा भत्ता का प्राविधान नहीं होगा।

(v।।) मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को उन्हीं दरों तथा प्रतिबन्धों के अधीन मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को अनुमन्य कराये गये वेतनमान के समान राज्य सरकार में वेतन पाने वाले अधिकारियों को अनुमन्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों को मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता, प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/प्रतिबन्धों/शर्तो इत्यादि के अधीन होगी।

उक्त शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3 के अन्य बिन्दु/प्राविधान यथावत रहेगें।

3- तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 24 नवम्बर, 2014 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश में इंगित अन्य शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें।

-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-561/दस-2015 दिनांक 23 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-16/2015/1107/49-1-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,लेखा एवं हकदारी(प्रथम एवं द्वितीय), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता विभाग,उ0प्र0,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सचिव, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
5- वित्त लेखाधिकारी,उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,लखनऊ।
6- वित्त(लेखा) अनुभाग-2
7- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1/2,वित्त(सामान्य) अनुभाग-1/2
8- सहकारिता अनुभाग-2/3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी0 के0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।